बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–02/ई0 परिवहन–01/2019, परि0 1609 पटना, दिनांक– 25/2/2021

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।

सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।

सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार ।

विषय :– Hand Held Device के युजर मैनुअल प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मोटरयान अधिनियम, 1988 व इसके अधीन बने नियमों को भंग/उल्लंघन करने वाले वाहन चालक अथवा वाहन स्वामी के द्वारा किये गये आरोपित अपराध हेतु मोबाईल आधारित (Hand Held Device) तकनीकी सहायता से निर्धारित प्रपत्र (ई–चालान) में काटे जाने की व्यवस्था सम्पूर्ण राज्य में की जा रही है ।

1. **Hand Held Device आधारित चालान का उद्देश्य :–**
   - (i) तकनीकी प्रयोग की सहायता से प्रवर्त्तन तंत्र की क्षमता की वृद्धि किया जाना।
   - (ii) स्थल पर यातायात चालान निर्गमन में पारदर्शिता लाना।
   - (iii) नागरिको को सूचना प्रौधोगिकी आधारित सेवा एवं ऑनलाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना।
   - (iv) सड़क सुरक्षा तथा यातायात संवेदनशीलता को प्रभावी बनाना।
   - (v) 24x7 आधारित यातायात उल्लंघन के लिए चालान निर्गमन की व्यवस्था करना।
   - (vi) ऑनलाईन आंकड़ों का प्रयोग तथा उसे उद्धृत करते हुए शमन की राशि प्राप्त करना।
   - (vii) बारम्बार उल्लंघन तथा दंड का अनुश्रवण करते हुए वाहन एवं सारथी डाटा–बेस को अपडेट करना।
   - (viii) आदतन गलती करने वालों का online लेखा–जोखा संधारित करना।

2. **Hand Held Device आधारित चालान हेतु ऐप :–**

NIC के द्वारा विकसित हैड हैल्ड डिवाईस में ई–चालान ऐप पर कार्य किया जायेगा । इस हेतु ई–चालान सॉफ्टवेयर www.echallanweb.gov.in का उपयोग किया जायेगा ।

3. **Hand Held Device आधारित चालान –**

मोबाईल ऐप में ई–चालान को निकाले जाने, जाँच किये जाने, एवं अधिरोपित दंड की राशि, वैसे जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 यथा संशोधित मोटरवाहन अधिनियम, 2019 के नियम 200 के अन्तर्गत शमन की शक्ति प्रदत्त है, के द्वारा कार्रवाई की जायेगी। यह कार्य Offline/Online Mode में उपलब्ध कराये गये Hand Held Device के माध्यम से On Spot उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध की जायेगी ।

4. **Hand Held Device का इस्तेमाल :–**

(i) मोबाईल ऐप हेतु इस्तेमाल में लाये जाने वाले Hand Held Device (विशिष्ट मानक) विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा नामित/प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इसका इस्तेमाल On Spot शमन हेतु किया जाय तथा अन्य सुविधाओं का गलत इस्तेमाल रोका जा सके एवं निदेशानुसार इसे प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के पश्चात् सुरक्षित रूप में संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा की जायेगी।

(ii) Hand Held Device हेतु लगाये जाने वाले सिम एवं मेमोरी कार्ड विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।

5. Login create किया जाना

(i) राज्य एडमिन द्वारा Login create किया जायेगा तथा जिला परिवहन कार्यालय के नामित पदाधिकारी, जिन्हें शमन की शक्ति प्रदत्त है, को Login ID उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ii) इस युजर आई.डी. का इस्तेमाल उसी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिन्हें यह आंवटित किया गया है ताकि Offline/Online Mode में उनके द्वारा Hand Held Device से किये गये कार्यों का डाटाबेस www.echallanweb.gov.in में अवलोकन किया जा सके ।

(iii) Offline Mode में अधिकतम पचास ई–चालान काटे जा सकते है । तदुपरांत इन्हें ऑनलाईन माध्यम से सिंक करना अनिवार्य होगा । चूँकि जिलों हेतु अलग–अलग खाता संख्या से Hand Held Device Linked (संलग्न) है, अतः उक्त Hand Held Device का इस्तेमाल उसी जिले के अन्तर्गत किया जाय।

(iv) स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की अवस्था में विधिवत प्राप्त Hand Held Device संबंधित वर्तमान प्रतिनियुक्ति जिला परिवहन कार्यालय में जमा की जायेगी ।

(v) प्रवर्तन लौगिन (Enforcement login)में नामित/प्रतिनियुक्त अधिकारी के द्वारा निकाला गया नोटिस /ई–चालान संतुष्ट होने के पश्चात् की वाहन मालिक के द्वारा यातायात नियमों एवं मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है एवं इसके लिये उन्हें चालान निर्गत किया जा सकता है के द्वारा प्रिंट/निकाली एवं हस्ताक्षरित की जाएगी।

6. Hand Held Device आधारित चालान का हस्तगत की प्रक्रियाः–

मोबाईल आधारित हस्ताक्षरयुक्त ई–चालान का निर्गमन अधिकृत अधिकारी के द्वारा वाहन स्वामी/चालक को On Spot राशि प्राप्त करने के पश्चात् हस्तगत कराया जायेगा । राशि तत्काल जमानहीं किये जाने की स्थिति में वाहन अथवा कागजात जप्त किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा उन्हें चालान निर्गत किया जायेगा । ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि जप्त किये गये कागजातों की सूची डॉप डाउन से चयन करते हुये उसकी तस्वीर ले ली जाय तथा यथासंभव स्वतंत्र गवाह के संबंध में मांगी गई सूचनाओं को अंकित कर दिया जाय । इस संबंध में मार्गनिदेश अलग से निर्गत किये जा रहें है ।

7. Hand Held Device आधारित चालान Login के प्रकार :–

I. चालान ऑफिसर login :- यातायात नियमों एवं मोटरयान अधिनियम के नियमों के उल्लंघन की निगरानी हेतु नामित परिवहन विभागीय पदाधिकारी यथा जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्त्तन तंत्र के पदाधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को इन नियमों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर उक्त वाहन चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध Hand Held Device के माध्यम से On Spot चालान निर्गत किया जायेगा ।

II. Cashier login :-

(i) Hand Held Device से निर्गत चालान में सन्निहित राशि को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के निर्धारित स्थान के काउन्टर पर भुगतान की व्यवस्था रहेगी एवं नामित कर्मी का यह दायित्व होगा कि ऐसे सभी प्राप्त चालान की राशि प्राप्त करेगें ।

(ii) रोकड़पाल लौगिन की मदद से प्राप्त चालान के लिए भुगतान प्रक्रिया को वाहन स्वामी/चालक से अधिरोपित शुल्क प्राप्त कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये युजर आई.डी. एवं पासवर्ड की मदद से www.echallanweb.gov.in में दर्ज करना सुनिश्चित करेगें ।

(iii) वाहन स्वामी/चालक जिनके द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 यथासंशोधित मोटरवाहन अधिनियम, 2019 एवं इसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन करते हुए स्थल पर किये गए अपराध/दोष हेतु विनिर्दिष्ट जुर्माने की राशि कैश में नामित रोकड़पाल पदाधिकारी को जमा की जायेगी। रोकड़पाल लौगिन के द्वारा चालान नम्बर जिसके विरूद्ध राशि प्राप्त की गई है को लिये जाने के पश्चात् प्रवर्तन लौगिन में लंबित मामले स्वतः निष्पादित हो जायेगें।

III. Inspection/ Admin Login :- यातायात नियमों एवं मोटरवाहन अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिये विभागीय पदाधिकारियों द्वारा वाहन चालकों/स्वामियों को Hand Held Device से निर्गत चालान में किसी प्रकार के संशोधन/ सुधार करने हेतु इस लॉगिन का उपयोग किया जायेगा । साथ ही On Spot

चालान निर्गत करने के क्रम में परिवहन विभाग के पदाधिकारी द्वारा भूलवश हुई त्रुटियों का निराकरण संबंधित जिलें के जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा इस लॉगिन से किया जायेगा।

8. **चालान की वैधता:–**

मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के सुसंगत धारा के अन्तर्गत चौदह कार्यदिवसही निर्धारित मानी जाएगी। तत्पश्चात् वैध कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

9. **चालान जमा करने का स्थान:–**नोटिस/चलान में अधिरोपित दंड की राशिदैनिक अंतराल पर जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा की जायेगी ।इसके लिए प्रक्रिया भी उपरोक्त ही रहेगी।

10. **राशि का हस्तांतरण** :– Hand Held Device द्वारा निर्गत चालान में अंकित राशि का भुगतान वाहन स्वामी/चालक द्वारा तत्काल जाँच स्थल पर ही किया जायेगा। निर्गत चालान से प्राप्त राशि का भुगतान को संबंधित पदाधिकारी द्वारा उसी दिन उस जिलें में खुले बैंक के खाते में किया जायेगा तथा उक्त बैंक द्वारा T+1 Day में O-GRAS के माध्यम से राजकोष में राशि को जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रकिया का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. **Hand Held Device से ई–चालान काटे जाने की प्रक्रिया**

(i) सर्वप्रथम user name एवं password डालकर लॉगईन कर ok का चयन करेंगे।

(ii) चालान काटने हेतु (+) बटन टैप कर new challan का चयन करेंगे।

(iii) Vehicle R.C./Chassis no. दर्ज कर सर्च करने के लिए online/smart card/using mParivahan QR Code में से किसी एक का चयन करेंगे।

(iv) Challan address GPS location से स्वतः दर्ज हो जाएगी।

(v) Destination address कॉलम में From address एवं To address दर्ज करेंगे।

(vi) Violator type details कॉलम में Owner/Driver/Owner and Driver में से किसी एक का चयन करेंगे।

(vii) Owner details कॉलम में data automatically प्रदर्शित होगी।

(viii) D.L.no कॉलम में D.L. का न0 डालकर सर्च करने के लिए online/smart card/using mParivahan QR Code में से किसी एक का चयन करेंगे।

(ix) Driver details कॉलम में यदि Driver Owner हो तो "Driver is Owner" चेक बाक्स का चयन करेंगे अन्यथा Driver details का entry करते हुए photo button द्वारा photo लेकर ok का चयन करेंगे।

(x) Conductor/other details कॉलम में valid id no/ other detai से डालेंगे।

(xi) Select offences कॉलम में offences का चयन करते हुए submit challan का चयन करेंगे।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपूर्तित Hand Held Device के माध्यम से मोटरयान अधिनियम में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों/चालकों को On Spot चालान निर्गमण की कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अन्त तक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

चालान निर्गत करने के क्रम में परिवहन विभाग के पदाधिकारी द्वारा भूलवश हुई त्रुटियों का निराकरण संबंधित जिलें के जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा इस लॉगिन से किया जायेगा।

8. **चालान की वैधता:–**

मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के सुसंगत धारा के अन्तर्गत चौदह कार्यदिवसही निर्धारित मानी जाएगी। तत्पश्चात् वैध कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

9. **चालान जमा करने का स्थान:–**नोटिस/चलान में अधिरोपित दंड की राशिदैनिक अंतराल पर जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा की जायेगी ।इसके लिए प्रक्रिया भी उपरोक्त ही रहेगी।

10. **राशि का हस्तांतरण** :– Hand Held Device द्वारा निर्गत चालान में अंकित राशि का भुगतान वाहन स्वामी/चालक द्वारा तत्काल जाँच स्थल पर ही किया जायेगा। निर्गत चालान से प्राप्त राशि का भुगतान को संबंधित पदाधिकारी द्वारा उसी दिन उस जिलें में खुले बैंक के खाते में किया जायेगा तथा उक्त बैंक द्वारा T+1 Day में O-GRAS के माध्यम से राजकोष में राशि को जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रकिया का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. **Hand Held Device से ई–चालान काटे जाने की प्रक्रिया**

(i) सर्वप्रथम user name एवं password डालकर लॉगईन कर ok का चयन करेंगे।

(ii) चालान काटने हेतु (+) बटन टैप कर new challan का चयन करेंगे।

(iii) Vehicle R.C./Chassis no. दर्ज कर सर्च करने के लिए online/smart card/using mParivahan QR Code में से किसी एक का चयन करेंगे।

(iv) Challan address GPS location से स्वतः दर्ज हो जाएगी।

(v) Destination address कॉलम में From address एवं To address दर्ज करेंगे।

(vi) Violator type details कॉलम में Owner/Driver/Owner and Driver में से किसी एक का चयन करेंगे।

(vii) Owner details कॉलम में data automatically प्रदर्शित होगी।

(viii) D.L.no कॉलम में D.L. का न0 डालकर सर्च करने के लिए online/smart card/using mParivahan QR Code में से किसी एक का चयन करेंगे।

(ix) Driver details कॉलम में यदि Driver Owner हो तो "Driver is Owner" चेक बाक्स का चयन करेंगे अन्यथा Driver details का entry करते हुए photo button द्वारा photo लेकर ok का चयन करेंगे।

(x) Conductor/other details कॉलम में valid id no/ other detai से डालेंगे।

(xi) Select offences कॉलम में offences का चयन करते हुए submit challan का चयन करेंगे।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपूर्तित Hand Held Device के माध्यम से मोटरयान अधिनियम में अंकित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों/चालकों को On Spot चालान निर्गमण की कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अन्त तक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 02/ई0 परिवहन–01/2019, परि0 1609 पटना, दिनांक:– 25/2/2020

प्रतिलिपि :– आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने के संबंध में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।